

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- ई-33/लै.टै./एफ-1678/2024/64

दिनांक : 08/02/24

आदेश

श्री भंवर लाल खाती, वरिष्ठ तकनीकी सहायक खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी चाकसू, जयपुर जिनकी जन्म तिथि 25.06.1972 है एवं प्रथम नियुक्ति तिथि 11.10.1993 है, को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर राजस्थान सिविल (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के अनुसरण में दिनांक 01.05.2024 से राज्य सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है। श्री शर्मा का दिनांक 01.05.2024 अकार्य दिवस होगा।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारी के विरुद्ध:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जॉच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(सुरेश नवल)

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- ई-33/लै.टै./एफ-1678/2024/64

दिनांक : 08/02/24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग राजस्थान जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर-द्वितीय।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चाकसू, जयपुर।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।
5. श्री भंवर लाल खाती, वरिष्ठ तकनीकी सहायक को द्वारा उनके नियंत्रण अधिकारी।
6. आदेश/डीपीसी सैल/निजी पत्रावली।

उक्त कार्मिक के विरुद्ध यदि आडिट पेरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावे।

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
5508352

Document certified by SURESH
NAWAL <add4ng@gmail.com>.

Digitally Signed by Suresh
Kumar Nawal

Designation: Director

Date :07-02-2024 04:01:44